बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-१८८ वा शनिवार ८ फ़रवरी २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

गुन्हेगारी पर सख्त रुख, अपराधियों में मचा हड़कंप

खबरदार वरना होजाएंगे तड़ीपार

गूंडो पर एसपी की दहाड़

बीड (प्रतिनिधि):
जिले में विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त ८० आरोपियों को पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भविष्य में इन आरोपियों का नाम किसी भी अपराध में सामने आया, तो उनके खिलाफ मोकोका' और एमपीडीए' के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी पुलिस अधीक्षक कावत ने बालू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की थी। अब इस चेतावनी के बाद, जिले में अपराधों पर लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है।

गुन्हेगारी पर सख्त रुख, अपराधियों में मचा हड़कंप जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कठोर कदम उठा रही है। अपराधी मानसिकता के लोगों को अब सीधे मोकोका और एमपीडीए के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस निर्णय से अपराध जगत में खलबली मच गई है। पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने एक के बाद एक धमाकेदार एक्शन शुरू कर दिए हैं। सप्ताहभर पहले ही उन्होंने ५१ बालू माफियाओं को बुलाकर उनकी परेड कराई थी और पुलिस की सख्त कार्यवाही का स्पष्ट संदेश दिया था। अब गंभीर अपराधों में लिप्त बदमाशों पर कार्रवाई की बारी आई है। ८० अपराधियों की हुई पेशी, पुलिस अधीक्षक ने दी अंतिम चेतावनी

जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज गंभीर अपराधों से जुड़े ८० अपराधियों को पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने दोपहर में कार्यालय में तलब किया। जिले के हर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले रेकॉर्डेड अपराधियों को संबंधित थानेदारों द्वारा बुलाया गया था। दोपहर तक सभी अपराधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हाजिर हो चुके थे। इस परेड के दौरान, पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर कोई अपराधी दोबारा गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ मोकोका' और एमपीडीए' के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अब क्या होगा? इस कार्रवाई से जिले के अपराधियों पर नकेल कसने की रणनीति तेज हो गई है। अपराध जगत में डर का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस अब कानून तोड़ने वालों को सीधे मोकोका' और एमपीडीए' जैसी सख्त धाराओं में फंसाने की तैयारी कर रही है। इस सख्त कार्रवाई के चलते, आने वाले दिनों में जिले में अपराधों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है।

उन ५ लाख महिलाओं को लाड़की बहन योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया'

मंत्री अदिति तटकरेने जारी किए आंकड़े

जमीर काज़ी । मुंबई

विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार के लिए गेम चेंजर' साबित हुई मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को लेकर सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिकों, संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों और जिनके परिवार में चार पहिया वाहन है, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। इससे कुल ५ लाख लाभार्थी महिलाओं को योजना से हटाया गया है, इसकी जानकारी राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी है।

राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लागू की थी। इस योजना के तहत २ करोड़ ४९ लाख महिलाओं को हर महीने १५०० रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही थी।

कठोर पुन: जांच के बाद ५ लाख लाभार्थी अपात्र

लेकिन चुनाव के बाद इस योजना को लेकर शंकाएं उठाई जा रही थीं, जिससे सरकार ने इसकी पात्रता और नियमों की सख्त पुन: जांच शुरू कर दी। इस बारे में मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी साझा की है।

उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय २.५ लाख रुपये से कम है, उनकी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ महिलाएं योजना की पात्रता के दायरे में नहीं आती थीं, फिर भी वे इसका लाभ उठा रही थीं। इसलिए सरकार ने उन्हें योजना से बाहर कर दिया है, यह जानकारी उन्होंने एक्स' (ट्विटर) पर साझा की। इन श्रेणियों की महिलाओं को किया गया अपात्र सरकार ने २८ जून २०२४ और ३ जुलाई २०२४ को जारी शासन निर्णयों के अनुसार अपात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना से हटा दिया है। अपात्र महिलाओं की श्रेणियां निम्नलिखित हैं: संजय गांधी निराधार योजना की २ लाख ३० हजार लाभार्थी महिलाएं। ६५ वर्ष से अधिक आयु की १ लाख १० हजार महिलाएं। परिवार में चार पहिया वाहन के मालिक, नमोशक्ति योजना के लाभार्थी और स्वेच्छा से नाम वापस लेने वाली १ लाख ६० हजार महिलाएं। घर-घर जाकर होगी पुन: जांच सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले ८ दिनों में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम घर-घर जाकर पुन: जांच करेगी। मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार सभी पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संशोधन के बाद, योजना के लाभार्थियों की संख्या अब २ करोड़ ४४ लाख हो गई है, जो पहले २ करोड़ ४९ लाख थी। २१०० रुपये कब मिलेंगे? इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को २१०० रुपये देने की घोषणा महायुति सरकार के नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले की थी। अब इस फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि २१०० रुपये कब दिए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी बजट सत्र के बाद लाड़की बहनों को इस योजना के तहत बढ़ी हुई राशि मिलने की संभावना है।

अवैध राख भंडारण पर कार्रवाई करें

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश

बीड, ०७ फरवरी:

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र में अवैध रूप से जमा राख के भंडारण पर तुरंत कार्रवाई करने के स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र राज्य की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने आज जिला प्रशासन को दिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि जप्त की गई रेत को सरकारी घरकुल योजना के निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई।

अवैध खनन और प्रदूषण नियंत्रण पर समीक्षा बैठक

जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज प्रगति सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री पंकजा मुंडे ने निम्नलिखित विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की:

अवैध रेत खनन और अन्य गौण खनिजों के उत्खनन से पर्यावरण पर प्रभाव।

बीड जिले में पहाड़ों को अवैध रूप से खोदने से हो रही पर्यावरणीय क्षति।

परळी थर्मल पावर प्लांट से राख के परिवहन के कारण बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण।

राख की अवैध ढुलाई पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईंट भट्टों के लिए खुले हाईवे से होने वाली अवैध राख परिवहन के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने निर्देश दिया कि गिरने वाली राख और परिवहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इसे बंद हाईवे से ले जाने की व्यवस्था की जाए और इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने आगे कहा कि राख का निपटारा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और इस ओर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अवैध रूप से जमा राख के भंडारण को सील करने और परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि –

राख परिवहन को गांवों के बजाय बाईपास से किया जाए।

दाऊतपुर क्षेत्र में राख की मात्रा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।

जितनी राख अभी उपलब्ध है, वह अगली जांच तक उतनी ही रहनी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध गौण खनिज परिवहन पर सख्त कार्रवाई

उन्होंने कहा कि रेत, पत्थर, मिट्टी, मुरुम और अन्य गौण खनिजों की अवैध ढुलाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

अवैध रेत घाटों की संख्या की जानकारी जुटाई जाए। जप्त की गई रेत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना' में उपयोग किया जाए। गौण खनिज के अवैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। अवैध पहाड़ खनन पर कड़े निर्देश अवैध रूप से पहाड़ खोदने वालों पर दंड लगाया जाए और हर तीन महीने में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।यदि पहाड़ों के नीचे अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, तो इसे तुरंत रोका जाए। पहाड़ों की खुदाई से आसपास रहने वाले परिवारों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिसे गंभीरता से लिया जाए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस बैठक में जिलाधिकारी अविनाश पाठक, जिला पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत, निवासी उप-जिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उप-विभागीय अधिकारी कविता जाधव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री महोदय को पॉवर पॉइंट (झझढ) प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक का प्रस्ताविक भाषण और अंत में आभार व्यक्त जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने किया।

मुस्लिम संगठन वक्फ की जमीन छीनने के प्रयासों का विरोध करने के लिए सभी कानूनी साधन अपनाएंगे-प्रोफेसर सलीम इंजीनियर

नई दिल्ली, ७ फरवरी: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने वक्फ पर जेपीसी के खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज उठाई और कहा कि मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक-२०२४ के जरिए वक्फ की जमीन हड़पने के प्रयासों का विरोध करने के लिए सभी कानूनी साधन अपनाएंगे। जमाअत के मुख्यालय में आयोजित मासिक प्रेस कांफ्रेंस को ब्रीफ करते हुए उनहोंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक २०२४, मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद इसका कड़ा विरोध करती है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विपक्ष की आवाजों और नागरिकों की लाखों आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। व्यापक विरोध के बावजूद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि परामर्श प्रक्रिया निरर्थक अभ्यास था। इस विधेयक का उद्देश्य सुधार के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करना है। यह वक्फ

की परिभाषा में बाधा डालता है, संरक्षक की भूमिका में बदलाओ लाता है और वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को कम करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान है जिससे परिषद में उनका प्रतिनिधित्व एक से बढ़कर १३ और बोर्डों में सात हो जाएगा। यह अनुच्छेद २६ का उल्लंघन है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार की रक्षा करता : जमाअत-ए-इस्लामी हिंद एनडीए के सहयोगियों और विपक्ष सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से इस विधेयक का विरोध करने का आग्रह करती है, जो संविधान के अनुच्छेद २५, २६, २९ और १४ का उल्लंघन करता है। जमाअत सरकार से इस विधेयक को वापस लेने और इसके बजाय मौजूदा वक्फ कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। सरकार द्वारा उक्त विधेयक को अलोकतांत्रिक तरीके से पारित करने की दुर्भाग्यपूर्ण संभावना को देखते हुए जमाअत-ए-इस्लामी हिंद अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का समर्थन करेगी और मुस्लिम समुदाय के हड़पे गए अधिकारों को सुरक्षित करने और उनके वक्फ संस्थानों और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक साधनों को अपनाकर इन प्रयासों का विरोध करेगी।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव सैयद तनवीर अहमद ने महाकुंभ भगदड़ के बारे में बात करते हुए कहा हम प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। हमारी हार्दिक संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक बार फिर इस महत्व को रेखांकित करती है कि इतने विशाल सम्मेलन के लिए सतर्क योजना और भीड़ प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, और प्रशासन को वीआईपी के लिए विशेष सेवाओं और पहुंच के बजाय उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मूलभूत जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी व्यवस्था में कमियों को तुरंत दूर करना चाहिए। पूरे प्रकरण का एक और खेदजनक पहलू भगदड़ पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया थी। मृतकों और घायलों की संख्या को स्वीकार करने और उसके बारे में पारदर्शी होने के बजाय मीडिया को अनावश्यक रूप से चुप कराने और ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग को रोकने के प्रयास किए गए जिसमें सरकार और प्रशासन की खराब छवि दिखाई गई हो या महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कमियों को उजागर किया गया हो। इस निरंकुश दृष्टिकोण ने मीडिया को इस विशाल आयोजन के प्रबंधन में खामियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने से रोक दिया। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सराहना करती है, जिन्होंने हजारों महाकुंभ तीर्थयात्रियों की जान बचाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए असाधारण प्रयास किए। ये प्रयास एक बार फिर इस बात को रेखांकित करते हैं कि कैसे नफरत के माहौल के बावजूद, देश के सामान्य नागरिक, विशेषकर अल्पसंख्यक, राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे नेताओं और पूरे देश को सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और एकजुटता बनाए रखने में उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

पराजय स्वीकारने की मानसिकता नहीं, इसलिए राहुल गांधी की रोना-धोना शुरु-चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई: पराजय स्वीकारने की मानसिकता नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की रोना-धोना शुरू हो गया है, ऐसा जवाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिया है।

दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सांसद संजय राउत और सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में बढ़े हुए मतदाताओं की संख्या को लेकर सवाल उठाया। इस पर बावनकुळे ने 'एक्स' पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी और विपक्ष अभी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार को स्वीकारने की मानसिकता में नहीं आए हैं। वे इस हार के झटके से अभी तक उबरे नहीं हैं, इसलिए अब वे मतदाता संख्या पर संदेह जता रहे हैं। चुनाव आयोग पहले ही मतदाता वृद्धि को लेकर बार-बार स्पष्ट जवाब दे चुका है, फिर भी जनता को गुमराह करने वाले आरोप लगाकर लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बावनकुळे आगे बोले, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है। इसमें हार पहले से ही दिख रही है, इसलिए राहुल गांधी का रोना-धोना अभी से शुरू हो गया है। जनता ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लगातार नकार दिया है, लेकिन वे इस सच्चाई को स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। अब अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना पूरी तरह हताशा की निशानी है।

बावनकुळे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले के बयान का जिक्र करते हुए कहा, सुप्रिया सुले ने खुद कहा कि मैं इसी ईवीएम पर जीती हूं।' लेकिन राहुल गांधी को ड्रामा करना था, इसलिए वे सच्चाई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं।

राहुल जी, लोकतंत्र पर विश्वास रखिए, बेबुनियाद आरोप लगाकर लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए। इस देश की जनता अब आपके झूठ को पूरी तरह समझ चुकी है, ऐसा तंज भी उन्होंने कसा।

रुग्णसेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएं

डॉ.अशोक थोरात का प्रतिपादन; माऊली नर्सिंग महाविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

बीड : प्रतिनिधि

आज आप सभी लोग रुग्णसेवा (स्वास्थ्य सेवा) की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आगे चलकर इस क्षेत्र में सेवा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाएं, ऐसा प्रतिपादन जिला शल्यचिकित्सक (सर्जन) डॉ. अशोक थोरात ने किया। वे बीड शहर के धानोरा रोड स्थित माऊली नर्सिंग कॉलेज में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे।

माऊली नर्सिंग महाविद्यालय में छात्राओं के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिला शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, रिपाई (आरपीआई) के युवा प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे, कांग्रेस नेता रविंद्र दळवी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कल्याण आखाडे, मेट्रन रमा गिरी, इंजीनियर रविंद्र तोंडे, पुलिस निरीक्षक खेडकर, डॉ. अनिल सानप, डॉ. सचिन आंधळकर, डॉ. अनंत मुळे, डॉ. चोले, भाजपा नेता अजय सवाई, डॉ. वर्षा तिडके, अनिल चांदणे, भैय्या मोरे, डॉ. लक्ष्मण जाधव, विनोद मुळुक, अनिल राठौड़ और रणजीत बनसोडे प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत और प्रमुख विचार

कार्यक्रम की शुरुआत में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा का पूजन एवं दीप प्रज्वलन मान्यवरों के हस्ते किया गया। कार्यक्रम का प्रस्ताविक भाषण संस्था के सचिव डॉ. महादेव मुंडे ने दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा मिले, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. अशोक थोरात ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैं पिछले २५ वर्षों से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हूं। इस क्षेत्र में कुशल कार्य के आधार पर मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप भी सेवा क्षेत्र में हैं, इसलिए अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ईमानदारी और समर्पण से कार्य करते रहें।

इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कल्याण आखाडे ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉ. महादेव मुंडे का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए बीड में विभिन्न कोर्स उपलब्ध कराए हैं, जिससे ये छात्राएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। कांग्रेस नेता रवि दळवी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में नर्सिंग क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं।

सुभाष धस ने भी इस अवसर पर मार्गदर्शन किया।

आयोजन का समापन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन प्रा. संगीता मुंडे ने किया, जबकि प्राचार्य वृंदावनी कांबळे, प्राचार्य धनंजय मेडकर और उप-प्राचार्य शुभम जोगदंड ने मान्यवरों का स्वागत किया। इस समारोह में छात्र-छात्राओं के साथ महाविद्यालय के सभी कर्मचारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के १०० दिनी कार्ययोजना की बीड में अमल शुरू

बीड: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के लिए १०० दिन की कार्ययोजना तैयार की है। इस अवधि में सभी कार्यालय प्रमुखों को क्या-क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में मार्गदर्शन करने के लिए राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार ने १५ जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागीय आयुक्तों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पंजीकरण महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक, साथ ही जमाबंदी आयुक्त एवं भूमि अभिलेख निदेशक, पुणे भी उपस्थित थे।

१०० दिनी कार्ययोजना के निर्देश और अमल

राजस्व विभाग के सहसचिव अजीत देशमुख ने २१ जनवरी को सभी विभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और उप-निदेशक भूमि अभिलेखों को परिपत्रक जारी कर १०० दिन की कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए।

इस कार्ययोजना में राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख विभाग और मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा की जाने वाली सुधार योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्य रूप से -

सेवा पोर्टल विकसित करना और उसकी सुलभता सुनिश्चित करना।

डिजिटल व स्वच्छ प्रशासन के लिए तेजी से कार्यान्वयन करना।

सभी प्रकार की भूमि का रिकॉर्ड अपडेट रखना और राज्यभर की सरकारी जमीनों की जानकारी के लिए डैशबोर्ड (लैंड रिकॉर्ड) तैयार करना।

ई-मापन २.० परियोजना को पूरे महाराष्ट्र में लागू करने के निर्देश।

नगर परिषदों की सीमाओं के भीतर जीआईएस आधारित संपत्ति मानचित्रण व कर अद्यतन करने का पायलट प्रोजेक्ट आगामी १०० दिनों में शुरू करना।

भूमि अभिलेख और डिजिटल सेवाओं का आधुनिकीकरण

ग्राम राजस्व अधिकारियों को ई-चावडी परियोजना के तहत ऑनलाइन भूमि कर भुगतान लागू करने का निर्देश।

पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर भूमि अभिलेख विभाग की सभी सेवाएं (आवेदन, नक्शा प्रतियां, प्रमाणपत्र) नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए भू-प्रणाम' केंद्र स्थापित करने का निर्णय।

राजस्व अधिकारियों के न्यायिक कार्यों को पेपरलेस बनाना और सुनवाई की सूचनाओं, आदेशों आदि को ऑनलाइन प्रणाली में लाना।

ड्रोन व जीआईएस तकनीक से गांवों का सर्वेक्षण और स्वामित्व योजना को सख्ती से लागू करना।

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सभी पंजीकृत किसानों को विशिष्ट पहचान क्रमांक जारी करना।

वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन नीति को अंतिम रूप देना, जिससे राज्य के किसी भी भाग में नागरिक अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी उप-पंजीयन कार्यालय में कर सकें।

रेडी रेकनर और अन्य सुधार

वर्तमान रेडी रेकनर दरों को गांव और प्लॉट स्तर तक विस्तृत करना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।पंजीकरण और मुद्रांक विभाग के कार्यालयों का आधुनिकीकरण और जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराना।

भूसंपादन (लैंड एक्विजिशन) प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना।राजस्व विभाग की वेबसाइट को अपडेट करना और शासन के निर्णयों व योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने के लिए कारगर प्रयास करना।

महत्वपूर्ण सेवाओं का आधुनिकीकरण

महा-ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर को आदर्श सेवा केंद्र बनाने के निर्देश।

अभिनव पहल' पोर्टल में राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई अच्छी योजनाओं को प्रकाशित करने की योजना।

प्रांत अधिकारी और तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अधिकतम जन-जागरूकता अभियान चलाएं।

स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी और अमल

सरकारी कार्यालयों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बीड के जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे द्वारा दी गई निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

निवासी उप-जिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी ने भी सभी उपविभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यालय स्वच्छता बनाए रखने और जनता से संयमित संवाद करने पर जोर दिया।

बीड की उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव ने भी जनता की समस्याओं को अधिक से अधिक समय देकर सुनने की पहल की है।

बीड के तहसीलदार चंद्रकांत शेळके ने कहा कि वे शासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने १६ मंडलों में बैठकों का आयोजन किया है और यह सिलसिला नियमित रूप से जारी रहेगा। स्वच्छता अभियान और अंतिम निष्कर्ष शुक्रवार को तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके, पूर्ति निरीक्षण अधिकारी प्रशांत सुपेकर, संतोष मुळीक, श्रीराम वायभट, अनिल विद्यागर, ग्राम राजस्व सेवक दिनेश माने, रेवन्नाथ पवार और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया।

नागरिकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की इस कार्ययोजना का अमल अन्य सरकारी कार्यालयों में भी होगा और स्वच्छ व सुंदर कार्यालयों की संकल्पना साकार होगी।

अक्षय शिंदे फर्जी एनकाउंटर मामला जारी रहेगा-उच्च न्यायालय

शिंदे के माता-पिता की याचिका खारिज

जमीर काज़ी । मुंबई

बदलापुर में बालिकाओं पर हुए यौन शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में जारी रहेगी।

मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अक्षय शिंदे के माता-पिता को सुनवाई में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, उनकी ओर से केस वापस लेने की याचिका को भी खारिज कर दिया गया।

यह निर्णय न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने दिया। इस मामले की अगली सुनवाई २४ फरवरी को होगी।

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल बदलापुर के आदर्श विद्यालय में दो बालिकाओं के यौन शोषण की घटना से नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया था। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त चपरासी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया था।

सितंबर महीने में मुंब्रा में पुलिस वैन में हुए एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी।

लेकिन, इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अक्षय शिंदे के पिता अण्णा शिंदे ने उच्च न्यायालय में जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

फर्जी एनकाउंटर की पुष्टि और पुलिस पर केस के आदेश इस मामले की महानगर दंडाधिकारीद्वारा की गई जांच में एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया था।

इस बीच, अक्षय शिंदे के माता-पिता ने याचिका वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि - हम इस केस को आगे नहीं लड़ना चाहते। हम पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमें इस मामले के लिए लगातार दौड़भाग करना संभव नहीं है, इसलिए याचिका रद्द की जाए।

इस पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा -यह केस वापस नहीं लिया जा सकता। सुनवाई जारी रहेगी। आपको कोर्ट में हाजिर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वरना न आएं। हमने आपको बुलाया नहीं है।

टुकड़ेबंदी सुधार कानून दोनों सदनों में पारित, फिर भी गरीबों के सपनों का घर अब तक अधूरा!

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत-एस.एम. यूसुफ

बीड (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों में टुकड़ेबंदी सुधार कानून पारित होने के बावजूद अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। इससे गरीबों के सपनों का घर अब तक अधूरा ही बना हुआ है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मत मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त किया है।

प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि राज्य की विधान परिषद और विधानसभा दोनों में टुकड़ेबंदी सुधार कानून पारित किया गया है। इससे अब

१, २, ३ गुंठे जमीन की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन यह अब तक शुरू नहीं हुई है।

टुकड़ेबंदी कानून के कार्यान्वयन के लिए उसमें संशोधन कर १, २, ३ गुंठे जमीन की खरीद-फरोख्त को कानूनी मान्यता देने का महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है।

हाल ही में नागपुर में हुए शीतकालीन अधिवेशन में इस विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। इससे पहले, १५ अक्टूबर २०२४ को इस कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। इसके कारण छोटे भूखंडों की खरीद का रास्ता खुल चुका है, फिर भी १, २, ३ गुंठे जमीन से संबंधित लेनदेन अभी भी प्रशासनिक स्तर पर अटका हुआ है। इसका परिणाम यह है कि आम गरीब नागरिक अपने घर के लिए जमीन खरीदकर घर बनाने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बीड जिले में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।

इसलिए इस मुद्दे पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मत मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त किया है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com